भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5068
बुधवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

एनसीईईएफ के अंतर्गत निधि

5068. श्री कीर्ति आजाद: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण कोष (एनसीईईएफ) के अंतर्गत कुल कितनी निधि आवंटित की गई है;

(ख) मंत्रालय द्वारा इस निधि का उपयोग कर आरंभ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और परियोजनाओं के नाम, स्थान, उद्देश्य क्या हैं और उनके पूरा होने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) स्वच्छ ऊर्जा पहलों और पर्यावरणीय क्षरण उपशमन उपायों के संवर्धन हेतु विभिन्न राज्यों, विशेषकर कोयला समृद्ध और ताप विद्युत उत्पादन करने वाले राज्यों को कितनी-कितनी निधि संवितरित की गई है;

(घ) क्या सरकार ने उच्च प्रदूषणकारी राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में इस निधि की प्रभावकारिता की कोई समीक्षा की है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ड): व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्त विधेयक 2010-11 के माध्यम से उत्पादित/आयातित कोयले पर उपकर से राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा एवं पर्यावरण कोष (एनसीईईएफ) का सृजन किया गया था। सभी राज्य एनसीईईएफ सहायता के लिए पात्र थे। इसके बाद, माल और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017, जिसे अप्रैल, 2017 में अधिसूचित किया गया है, में यह प्रावधान है कि कोयला उपकर, कुछ अन्य उपकरों के साथ मिलकर, माल और सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा निधि का गठन होगा और इसका उपयोग राज्यों को पांच वर्षों के लिए जीएसटी कार्यान्वयन के कारण संभावित नुकसानों की क्षतिपूर्ति दूर करने के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

*****